Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

मैसर्स वण्डर सीमेंट वर्क्स, निम्बाहेडा बनाम **अर्जुन वगैराह**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना–पत्र** नं0 **008** सन **2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.05.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर। पूर्व में दिनांक 29.04.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 की औरं से अधिवक्ता सीएम जणवा ने अधिकार पत्र एवं प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मेरे हक व हिस्से की मुआवजा राशि मेरी पारिवारिक निजी आवश्यकता होने से प्राप्त करना चाहता हूँ अब वर्तमान में मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड एवं मुझ प्रार्थी के मध्य उपरोक्त मुआवजा राशि को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। प्रार्थना पत्र पत्रावली है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 हाजिर। प्रार्थना पत्र रिकार्ड पर लिया जाता है। नकल वकील प्रार्थी को दिलवाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध न्यायालय आदेश दिनांक 20.04.2022 से एक तरफा अमल में लाई जा चुकी है। हाजिर वकील प्रार्थी ने मुआवजा राशि का भुगतान अप्रार्थी संख्या 1 को कराये जाने की किसी भी प्रकार का उज्र नहीं होना जाहिर किया है। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस का चिंतन–मनन किया। अप्रार्थी संख्या 1 निर्धारित मुआवजा राशि में से अपने हक हिस्से अनुसार मुआवजा राशि प्राप्त करना चाहते है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 को निर्धारित मुआवजा राशि में से अपने हक हिस्से अनुसार मुआवजा राशि का भुगतान कराया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार निम्बाहेडा से पत्रांक/राजस्व/2022 /245 दिनांक 07.02.2022 से प्राप्त अप्रार्थी संख्या 1 अर्जुन पिता लेरू जाति जाट निवासी धनोरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के नाम पर जारी चैक संख्या 017001 दिनांक 18.10.2021 तादादी रूपये 2035651/– अक्षरे बीस लाख पैतीस हजार छ सौ इक्यावन रूपये मात्र का चैक तहसीलदार निम्बाहेडा को अप्रार्थी संख्या 1 अर्जुन पिता लेरू जाति जाट निवासी धनोरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को वास्ते भुगतान भिजवाये जाने का आदेश दिया जाता है एवं हस्तगत प्रकरण में से अप्रार्थी संख्या 1 का नाम विलोपित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को तहरीर जारी करे। इसके पश्चात् हाजिर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ने बहस प्रार्थना पत्र का निवेदन किया गया। इस पर हाजिर वकील प्रार्थी	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। वकील प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का चिंतन–मनन किया। न्यायालय हाजा द्वारा विपक्षीगण की खातेदारी आराजीयात के खनन प्रयोजनार्थ मुआवजा राशि का निर्धारण किया जा चुका है एवं प्रार्थी कम्पनी न्यायालय निर्णयानुसार मुआवजा राशि का भुगतान विपक्षीगण को किये जाने हेतु तैयार एवं तत्पर है किन्तु विपक्षीगण संख्या 2–3–4 द्वारा मुआवजा राशि के चैक प्राप्त नहीं किये गये एवं बावजूद सूचना के अप्रार्थीगण संख्या 2–3–4 इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है ऐसी स्थिति में प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् मुआवजा राशि के सिविल डिपोजिट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं प्रकरण सक्षम प्राधिकारी भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण मुख्यालय जयपुर को मुआवजा राशि के सिविल डिपोजिट किये जाने प्रेषित किये जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् सिविल डिपोजिट को स्वीकार किया जाता है एवं न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 080/2020 (रे.वि.) अनवानी मैसर्स वण्डर सीमेंट लिमिटेड बनाम अर्जुनलाल वगैराह अन्तर्गत धारा 89 (04) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में निर्णय दिनांक 06.10.2021 से आराजीयात जैरबहस के खनन प्रयोजनार्थ निर्धारित मुआवजा राशि रूपये 81,42,604/– अक्षरे इकरासी लाख बयालीस हजार छ सौ चार रूपये मात्र में से अप्रार्थी संख्या 1 के हक हिस्से अनुसार रूपये 2035651/– अक्षरे बीस लाख पैतीस हजार छ सौ इक्यावन रूपये मात्र का संबंधित अप्रार्थी द्वारा भुगतान प्राप्त किये जाने बाबत् सहमति प्राप्त हो जाने से शेष राशि 61,06,953/– रूपये अक्षरे ईकसठ लाख छ हजार नौ सौ तिरेपन रूपये मात्र मुआवजा राशि का चैक अप्रार्थी संख्या 2, 3 एवं 4 द्वारा प्राप्त नहीं करने से मुआवजा राशि माननीय सक्षम प्राधिकारी भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण मुख्यालय जयपुर को मुआवजा राशि के सिविल डिपोजिट किये जाने हेतु प्रकरण प्रेषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार निम्बाहेडा से पत्रांक/राजस्व/2022/245 दिनांक 07.02.2022 से प्राप्त चैक जो कि अप्रार्थी संख्या 2, 3 एवं 4 के नाम पर जारी किया गया है को प्रार्थी कम्पनी को लौटाया जावें एवं निर्धारित मुआवजा राशि का सिविल डिपोटिज हेतु नवीन चैक रजिस्ट्रार, भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, जयपुर के नाम से प्रस्तुत किये जाने हेतु लिखा जावें। पत्रावली बाद पालना के प्रार्थी कम्पनी द्वारा नवीन चैक प्रस्तुत करने पर पुनः पेश हों।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-S/d-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़
04.05.2022